आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री सिद्धार्थ नौटियाल, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 55 तथा 56/इंदौर/2019
निर्धारण वर्ष : 2014-15 तथा 2015-16

मे. मेडिकेप्स लिमिटेड, इंदौर	बनाम	आयकर उपायुक्त 1(1)/ सहायक आयकर आयुक्त 1(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएबीसीएम 1905 जी		

अपीलार्थी की ओर से	लिखित प्रतिवेदन
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	10.10.2022
उद्धघोषणा तिथि	11.10.2022

आदेश

श्री सिद्धार्थ नौटियाल, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-I, इंदौर के आदेशों क्रमशः दिनांक 20.11.2018 तथा 26.11.2018 के विरूद्ध निदेशित है जो कि आयकर उपायुक्त 1(1), इंदौर / सहायक आयकर आयुक्त-1(1), इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन अधीन विरचित आदेशों क्रमशः दिनांक 20.10.2016 तथा 17.10.2017 से उद्भूत है ।

2. निर्धारिती द्वारा इन अपीलों के संबंध में अधिकरण के समक्ष लिखित आवेदन दिनांक 10.10.2022 दाखिल किया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने दोनों

निर्धारण वर्षों अर्थात 2014-15 तथा 2015-16 के लिए "**विवाद से विश्वास योजना, 2020**" के अधीन आवेदन किया है तथा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारिती का आवेदन स्वीकार करके फार्म सं. 5 जारी किया गया है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । आवेदन के साथ फार्म सं. 5 की प्रतियां दाखिल की गई हैं । निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपीलों को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 11.10.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(सिद्धार्थ नौटियाल)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 11.10.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल